

प्रमाण-पत्र



कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग जबलपुर

स्कूल क्रमांक:- 712094

दिनांक:-27/06/2018

मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम, 2015 के नियम चार (4.2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा

(समिति का नाम एवं पता):- **HITKARNI SABHA , MADHATAL CIVIC CENTER**
द्वारा संचालित


(विद्यालय का नाम व पता):- **HITKARNI H S SCHOOL, GORAKHPUR,
JABALPUR , HITKARNI H S SCHOOL HATHITAL RAOD GORAKHPUR
JABALPUR**
को

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 712094 /मान्यता/
71/2018/REN0016 / दिनांक: 27/06/2018 द्वारा प्रदान की गई हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी
विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य, की मान्यता नवीनीकृत की जाती है।

यह नवीनीकरण सत्र 2020-21 तक वैध रहेगी। माध्यम हिन्दी, ।

उक्त नवीन मान्यता मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मार्च 2017 में प्रकाशित मध्य प्रदेश
माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 की कण्डिका 11 में विधित
समस्त शर्तों के पालन के अध्याधीन होगा।

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक: B9251921 स्कूल आई.डी. - 40573
पति,

दिनांक:- 03.05.2017

प्रबंधक,

(HITKARINI MIDDLE SCHOOL, GORAKHPUR, JBP)

PS40573

123*456 (Password)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.01.1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातयती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -HITKARINI MIDDLE SCHOOL, GORAKHPUR, JBP, GORAKHPUR, JABALPUR, MP को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक कालाय ध के लए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न ल खत शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता वस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता कसी भी रूप में ववक्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वं घत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दबा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त क जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (म) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी कै पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ कसी छानबीन प्र क्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तारित कालाय ध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
 - कसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्कासत नहीं कया जाएगा;
 - कसी बालक को वारिरीक या मानसिक रूप से प्रताडत नहीं कया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/व्यशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त क वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टी चंग की गति व धर्यों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यधर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुवधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

• स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में यनिदिष्ठ स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सु वधाएँ निम्नानुसार पाई गयीं:-

क्र.सं.	विवरण	मापदण्ड	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	5880	5880
10	स्कूल का निम्नतम क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	2880	2880
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	3000	1700

क्र.सं.	कक्षा	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
			संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा		7	360	7	360
2	कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		1	360	1	360
3	भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

क्र.सं.	विवरण	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सु वधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	150	150
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	1	1
6	पेयजल सु वधा का प्रकार	Pipe Water	Pipe Water
7	पेयजल सु वधा की संख्या	3	3
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय,पश्चिमी,मिश्रित)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	2	2
10	लड़कियों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	2	2
11	वकलांग बच्चों के लए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित कए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापन पत होंगे और उचित लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्षा अधकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..39251921.. एवं डाईसकोड (DISE) 23390224113 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संद भेंट कए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्षा केन्द्र/जिला शक्षा अधकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा क स्कूल के संचालन की क मर्यादों को दूर करने के लए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी कए जाएं।
- सोसायटी/स्थान, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण कया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

24.2.18
भवदीय,
जि.जिल्हा शिक्षा अधकारी कार्यालय
जिला जि.जिल्हा शिक्षा अधकारी कार्यालय मध्य प्रदेश

